

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 08.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी एसईजेड के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- (i) श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ)।
- (ii) श्री सुनील कुमार, अधीक्षक (सीमा शुल्क), नोएडा।
- (iii) श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक आयुक्त उद्योग, डीआईसी (DIC), नोएडा।
- (iv) श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी (DGFT), कार्यालय डीजीएफटी, सीएलए (CLA), नई दिल्ली।
- (v) श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, नोएडा।

इसके अलावा, (i) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, (ii) श्री विशाल गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी, (iii) श्री प्रकाश चंद्र उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, (iv) श्री प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त और; (v) और श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी (UDC), अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भी उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ, जहां भी आवश्यक हो, आवेदकों/ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

मद संख्या 1 दिनांक 24.04.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

2.1 मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई-1) (आंशिक विलोपन)

2.1.1 इकाई के सह निदेशक श्री डी.के. शर्मा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, नोएडा में 'तीसरी मंजिल पर 3848 वर्गफुट क्षेत्र, सॉफ्टवेयर ब्लॉक (टॉवर-द्वितीय)' को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी।

2.2 मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई-III) (आंशिक विलोपन)

2.2.1 इकाई के सह निदेशक श्री डी.के. शर्मा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने एचसीएल (HCL) टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, नोएडा में 'तीसरी मंजिल पर 3986 वर्ग फुट क्षेत्र, सॉफ्टवेयर ब्लॉक (टॉवर-III)' को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी।

सुरेंद्र मलिक

2.3 मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई-V) (आंशिक विलोपन)

2.3.1 इकाई के सह निदेशक श्री डी.के. शर्मा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.3.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, नोएडा में दूसरी मंजिल पर '225.85 वर्ग फुट क्षेत्र, एसडीबी-द्वितीय (टॉवर III) और 359.07 वर्ग फुट क्षेत्र को 5 वीं मंजिल एसडीबी (SDB)-V (टॉवर-VI) को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी।

2.4 मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई-VII) (आंशिक विलोपन)

2.4.1 इकाई के सह निदेशक श्री डी.के. शर्मा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.4.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने एचसीएल (HCL) टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, नोएडा में तीसरी मंजिल पर '363.62 वर्ग फुट क्षेत्र, एसडीबी-V (टॉवर VI) और 628.02 वर्ग फुट क्षेत्र को चौथी मंजिल एसडीबी-V (टॉवर-VI) पर आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी। समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार क्रम संख्या और विवरण देते हुए इनपुट सेवाओं (802.00 लाख रुपये आयातित और 6615.00 लाख रुपये स्वदेशी) की विस्तृत सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

2.5 मैसर्स एक्स्ट्रिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आंशिक विलोपन)

2.5.1 इकाई के सीएफओ (CFO) श्री अनुराग अग्रवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

2.5.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, नोएडा में '18910 वर्गफुट क्षेत्र 13वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 05' को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी।

2.6 मैसर्स जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-II) (आंशिक विलोपन)

2.6.1 इकाई के प्रबंधक श्री शैलेन्द्र कुमार गौड़ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.6.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, नोएडा में बिल्डिंग नंबर 5 में '66527 वर्ग फुट क्षेत्र ऊपरी भूतल, पहली मंजिल और तीसरी मंजिल' के आंशिक विलोपन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी।

सुरेंद्र मालिक

मद क्रमांक 3: सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन के अनुमोदन को रद्द करने के प्रस्ताव:**3.1 ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (फूडियाना एंटरप्राइजेज)**

3.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-144, नोएडा में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमोदन समिति ने मैसर्स फूडियाना इंटरप्राइजेज को कर्मचारियों के लिए 'कैफेटेरिया/कैंटीन' स्थापित करने और संचालित करने के लिए निर्मित स्थान के आवंटन के लिए दी गई अनुमति पत्र संख्या 10/173/2008-एसईजेड/7319 दिनांक 27.06.2019 को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

अनुपूरक कार्यसूची मद संख्या 1: इकाइयों के प्रदर्शन की निगरानी:-**1.1 मैसर्स टीएलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

1.1.1 मैसर्स टीएलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलओए (LOA) संख्या 10/59/2016-एसईजेड/1486 दिनांक 06.02.2017), सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस एसईजेड प्लॉट संख्या 20 और 21, सेक्टर 135 नोएडा की एक इकाई एसईजेड योजना से बाहर निकलने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। स्थापना के बाद से एपीआर (APR) के अनुसार इकाई का वर्ष-वार प्रदर्शन/एनएफई स्थिति, एनएसईजेड (NSEZ) सीए फर्म द्वारा विधिवत सत्यापित, निम्नानुसार हैं: -

5 साल के पहले ब्लॉक के लिए:

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य (लाख रुपये में)	एनएफई आय (लाख रुपये में)	डीटीए बिक्री (लाख रुपये में)	लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति
2017-18	1668.91	1602.62	0.00	0.00
2018-19	2176.70	2122.37	0.00	0.00
2019-20	2064.04	1985.82	0.00	0.00
2020-21	1696.02	1593.78	0.00	0.00
2021-22	1848.01	1782.51	0.00	0.00
कुल	9453.74	9087.10	0.00	0.00

5 साल के दूसरे ब्लॉक के लिए: -

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य (लाख रुपये में)	एनएफई आय (लाख रुपये में)	डीटीए बिक्री (लाख रुपये में)	लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति
2022-23	1032.78	1030.52	0.00	0.00
कुल	1032.78	1030.52	0.00	0.00

1.1.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक एनएफई (NFE) पर ध्यान दिया। समिति ने आगे इकाई को शेष वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR), यदि कोई हो, को उस तारीख तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जब तक यूनिट संचालन में रही हैं।

सुरेंद्र मलिक

1.2 मैसर्स इएक्सएल सर्विस.कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

1.2.1 मैसर्स इएक्सएल सर्विस.कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एलओए (LOA) नंबर 10/42/2015-एसईजेड/304 दिनांक 08.01.2016 हैं, जो ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड में प्लॉट नंबर 7 सेक्टर-144, नोएडा (यूपी) 11वीं और 12वीं मंजिल, टॉवर-3 में स्थित एक इकाई हैं, ने एसईजेड (SEZ) योजना से बाहर निकलने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। स्थापना के बाद से वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के अनुसार इकाई का वर्ष-वार प्रदर्शन/एनएफई (NFE) स्थिति, एनएसईजेड (NSEZ) सीए फर्म द्वारा विधिवत सत्यापित, निम्नानुसार हैं:-

5 साल के पहले ब्लॉक के लिए:

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य (लाख रुपये में)	एनएफई आय (लाख रुपये में)	डीटीए बिक्री (लाख रुपये में)	लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति
2016-17	2081.08	1985.52	0.00	0.00
2017-18	4456.98	4304.01	0.00	0.00
2018-19	17602.97	16943.81	0.00	0.00
2019-20	24762.68	23422.38	0.00	0.00
2020-21	23711.84	23094.38	0.00	0.00
2021-22 (विभाजन-1, 01.04.2021 से 30.05.2021)	2161.33	2127.95	0.00	0.00
कुल	74776.88	71877.69	0.00	0.00

5 साल के दूसरे ब्लॉक के लिए :-

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य (लाख रुपये में)	एनएफई आय (लाख रुपये में)	डीटीए बिक्री (लाख रुपये में)	लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति
2021-22	32357.81	31949.53	0.00	0.00
2022-23 (विभाजन-2, 31.05.2021 से 31.03.2022)	38681.01	38117.52	0.00	0.00
कुल	71038.82	70067.05	0.00	0.00

1.2.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक एनएफई (NFE) पर ध्यान दिया। समिति ने आगे इकाई को शेष वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR), यदि कोई हो, उस तारीख तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जब तक कि इकाई संचालन में रही और सीए फर्म एनएसईजेड (NSEZ) की टिप्पणियों का जवाब भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

पूरक कार्यसूची मद संख्या 2: वैधानिक अनुपालन और डीटीए (DTA) में संपत्ति की निकासी के उद्देश्य के लिए मैसर्स मोजर बेयर सोलर लिमिटेड (परिसमापन के तहत) की इकाई संख्या I और II के अनुमोदन पत्र एलओए (LOA) को फिर से शुरू करने का अनुरोध।

सुरेंद्र मालिक

2.1 समिति को सूचित किया गया था कि मैसर्स मोजर बेयर सोलर लिमिटेड (इकाई-I) को प्लॉट नंबर 66 बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (यूपी) में स्थित मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के सेक्टर विशिष्ट एसईजेड (SEZ) में एलओए (LOA) नंबर 10/83/2007-एसईजेड/2815 दिनांक 22.05.2007 जारी किया गया था। इकाई ने अपना परिचालन 12.04.2009 से शुरू किया था और वह 11.04.2014 को समाप्त हो गया। इकाई ने अपने पत्र दिनांक 11.04.2014 द्वारा एलओए (LOA) नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। हालांकि, इकाई के अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी (एनएसपी 61-62 देखें) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इकाई सकारात्मक एनएफई (NFE) हासिल करने में विफल रही। आगे की इकाई को संशोधित एपीआर (APR) प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ताकि अनुमोदन समिति के अनुमोदन से नए एससीएन (SCN) जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए नकारात्मक एनएफई (NFE) के सही आंकड़े स्थापित किए जा सकें।

2.2 इसी प्रकार, मैसर्स मोजर बेयर सोलर लिमिटेड (इकाई-II) को एलओए (LOA) संख्या 03.02.2010-एसईजेड/4751 दिनांक 24.06.2010 जारी किया गया था। इकाई ने 09.09.2011 को उत्पादन शुरू किया और तदनुसार एलओए (LOA) 08.09.2016 तक वैध था। एसईजेड (SEZ) नियम 2006 के नियम 72 के तहत 09.09.2011 से दो साल यानी 08.09.2018 तक प्रभावी पांच साल के दूसरे ब्लॉक के विस्तार के लिए इकाई का अनुरोध 02.06.2017 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था। अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई का अनुरोध विशेष रूप से SEZ नियम, 2006 के नियम 72 के अंतर्गत नहीं आता है और अनुरोध पर विचार करने के लिए नियम 72 की स्थिति में छूट की आवश्यकता होगी। उसके बाद, अनुमोदन समिति दिनांक 02.06.2017 ने इस उद्योग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीओए (BOA) को पांच साल के पहले ब्लॉक के विस्तार के लिए इकाई-द्वितीय के प्रस्ताव की सिफारिश करने का निर्णय लिया, इकाई द्वारा नई दिवाला दिवालियापन कोड के बारे में स्पष्ट की गई स्थिति (आईबीसी)। तदनुसार, बीओए (BOA) ने 18.09.2017 को आयोजित अपनी बैठक में मैसर्स मोजर बेयर सोलर लिमिटेड (इकाई-II) के पहले ब्लॉक को 09.09.2011 से दो साल यानी 08.09.2018 तक पांच साल के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

2.3 मोजर बेयर सोलर लिमिटेड 14.11.2017 से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है और श्री अरविंद गर्ग को एनसीएलटी (NCLT) द्वारा नियुक्त दिवाला पेशेवर नियुक्त किया गया है। उन्होंने 28.02.2023 को एक पत्र जमा किया है और कहा है कि ब्याज की अभिव्यक्ति को आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक नोटिस के बावजूद, समाधान पेशेवर को कॉर्पोरेट ऋणी (या कंपनी) के संबंध में कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई है। सीआईआरपी (CIRP) के लिए वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद, आईबीसी (IBC) धारा 33(1)(ए) के तहत कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन का आदेश दिया गया था। श्री अरविंद गर्ग (जिसका आईडीबीआई (IDBI) पंजीकरण संख्या आईबीबीआई (IBBI)/आईपीए-003/आईपी-एन00029/2017-18/10189 था), दिनांक 30.05.2019 को पारित आदेश द्वारा परिसमापक के रूप में नियुक्त किये गए थे। आईबीसी (IBC) की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार, परिसमापक को अपनी हिरासत में लेने या कॉर्पोरेट देनदार की सभी संपत्ति, संपत्ति, प्रभाव और कार्रवाई योग्य दावों को नियंत्रित करने और ऐसी अचल और चल संपत्ति और सार्वजनिक नीलामी द्वारा परिसमापन में कॉर्पोरेट ऋणी कार्रवाई योग्य दावों को बेचने का अधिकार है। 66 बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश -201306 में स्थित एमबीएसएल (MBSL) के एसईजेड (SEZ) इकाई I और II के परिसर में पड़े मॉड्यूल के सभी स्टॉक उसकी हिरासत में हैं और आईबीसी की प्रावधानों के अनुसार इसे निपटाने और बेचने की आवश्यकता है। परिसमापक ने अपने पत्र दिनांक 03.03.2021 के माध्यम से 66बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201106 स्थित कॉर्पोरेट देनदार के कारखाने परिसर में पड़े मॉड्यूल के निपटान के लिए उप विकास आयुक्त-सीमा शुल्क एनएसईजेड (NSEZ) की अनुमति के लिए अनुरोध किया है। प्राधिकृत अधिकारी (कस्टम) एमबीआईएल-एसईजेड ग्रेटर नोएडा ने अपने पत्र विलेख 07.04.2021 के माध्यम से फैक्ट्री परिसर में पड़े मॉड्यूल के निपटान के लिए अनुरोध की स्वीकृति की सूचना दी है, जो सीमा शुल्क अधिनियम और एसईजेड अधिनियम/डीटीए मंजूरी के नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सेज यूनिट-2 का एलओए 08.09.2021 तक वैध था। आईआरपी ने 06.04.2022 को एनसीएलटी (NCLT) के समक्ष आवेदन आईए-1610/2022 दायर किया है, जिसमें आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के नियमन 37ए के अनुसार कॉर्पोरेट कर्जदार की (तैयार वसूली योग्य संपत्ति ('एनआरआरए')) के

सुरेंद्र मलिक

I/46725/2023

असाइनमेंट/ट्रांसफर की अनुमति मांगी गई है। परिसमापक द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर, एनसीएलटी (NCLT) ने 17.08.2022 को पारित आदेश द्वारा एनआरआरए (NRRRA) की बिक्री के लिए आवेदन की अनुमति दी है, इस शर्त के अधीन कि बिक्री के लिए खरीदार खोजने के बाद परिसमापक एनसीएलटी (NCLT) को रिपोर्ट करेगा और संबंधित अनुमति मांगेगा वही। एनआरआरए (NRRRA) संपत्तियां निर्विवाद शीर्षक वाली अन्य संपत्तियों से स्वतंत्र हैं। इन अन्य परिसंपत्तियों का स्पष्ट स्वामित्व है और उनमें से स्टील-क्रेट्स की नीलामी की जा चुकी है और संयंत्र और मशीनरी से युक्त संपत्तियों के एक अन्य सेट की नीलामी अभी बाकी है। 22.09.2022 को आयोजित शेयरधारकों की 7 वीं सलाहकार समिति की बैठक में, सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परिसमापन संपत्ति बनाने वाली संपत्तियों को 2 अलग-अलग बकेट में समूहीकृत किया जाएगा जिसमें 1) एनआरआरए के रूप में विवादित संपत्ति (भूमि के नीचे और उपयोगिता ब्लॉक के साथ 2 कारखाने भवन) 2) निर्विवाद संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी और स्टील-क्रेट्स) इसके बाद, परिसमापक ने 11.10.2022 को प्लांट और मशीनरी और स्टील क्रेट की बिक्री के साथ-साथ सीडी एनआरआरए के रूप में की विवादित संपत्ति के तहत अधिकारों के हस्तांतरण / हस्तांतरण के लिए बिक्री नोटिस प्रकाशित किया। इसके बाद दिनांक 06.01.2023 को आयोजित ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 09.12.2022 को बिक्री नोटिस के माध्यम से स्टील क्रेट स्टैंड की नीलामी 8,15,00,000/- (रुपए आठ करोड़ और पचास लाख मात्र) में की गई। इस ई-नीलामी में मेसर्स गौरव वर्ल्डवाइड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड सफल बोलीदाता के रूप में उभरी।

2.4 स्टील-क्रेट्स के सफल बोलीदाता के साथ परिसमापक ने निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया:

- I. वैधानिक अनुपालन के सीमित उद्देश्यों के लिए कंपनी की उपरोक्त SEZ इकाइयों (I&II) के LOA को फिर से शुरू करना, और एसईजेड (SEZ) ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा तक पहुंच की अनुमति देना, और
- II. सीमा शुल्क/करों में छूट देकर डीटीए (DTA) में स्टॉक/संपत्ति आदि की निकासी, और
- III. इसके बाद दोनों इकाइयों के एलओए (LOA) को रद्द करना। यह ध्यान दिया जा सकता है कि चूंकि कंपनी की स्टॉक संपत्ति का निपटान परिसमापन प्रक्रिया के दौरान किया जा रहा है (और व्यवसाय या व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं), उस पर कोई कर/शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, जैसा कि अधिनियम व्यवसाय का सामान्य तरीका लगाया गया है।

2.5 मामले में एसओ से राय व कानूनी राय मांगी गई।

एस.ओ. की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

“जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अन्य बातों के अलावा, इकाई ने सीमा शुल्क/करों के भुगतान के बिना डीटीए में माल/स्टॉक की निकासी के लिए अनुरोध किया है। इस संबंध में, इकाई ने आईबीसी (IBC) की धारा 238 का तर्क लिया है जो अन्य कानूनों के साथ विसंगतियों के मामले में आईबीसी (IBC) कानून के ओवरराइडिंग प्रभाव से संबंधित है। हालांकि, इकाई ने माल की निकासी के मामले में कराधान कानूनों की तुलना में आईबीसी (IBC) की विसंगति के बिंदु के बारे में उल्लेख नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है, यदि कोई इकाई दिवाला के अधीन है, तो आईबीसी (IBC) करों / शुल्कों के भुगतान से छूट के लिए अनिवार्य नहीं है। आगे, यह कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय शुल्क/करों के भुगतान के बिना निपटान के लिए माल की निकासी के मामले में संदर्भित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह निवेदन किया जाता है कि -

एसईजेड अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, सीमा शुल्क के कर्तव्यों का भुगतान करना आवश्यक होगा जब किसी माल को एसईजेड (SEZ) से डीटीए (DTA) में हटाया जाना हो। आईबीसी की तुलना में किसी भी विसंगति/विरोधाभास के मामले में धारा 238 केवल ओवरराइडिंग धारा है; यह संपत्ति के परिसमापन के दौरान करों के भुगतान से सामान्य प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। इसलिए, डीटीए (DTA) में माल की निकासी से पहले सीमा शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होगी।”

2.6 मामले में कानूनी राय इस प्रकार है: -

सुरेंद्र मलिक

राहत/अनुरोध बिंदु (i) उपरोक्त:-

(a) इकाई या विकासक को पहले अनुमोदन समिति से संपर्क करने की आवश्यकता है और उसके बाद वह धारा 15 (4) के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड को अपील दायर कर सकता है।

(b) विकासक/इकाई/व्यक्ति भी अधिनियम की धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें अपील का प्रावधान है।

(c) विकासक/इकाई/व्यक्ति भी भारत के संविधान, 1949 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि, एनएसईजेड (NSEZ) अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रावधान की समाप्ति से पहले उच्च न्यायालय का रुख करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध कार्य करने के बराबर होगा।

इस प्रकार, अधिनियम के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एलओए (LOA) को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त राहत/अनुरोध बिंदु (ii) :-

एसईजेड (SEZ) अधिनियम का अध्याय VI "विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान" से संबंधित है। धारा 26 के आधार पर 'प्रत्येक विकासक और उद्यमी को छूट, कमियां और रियायतें' व्यापार और टैरिफ के खिलाफ विभिन्न छूट प्रदान की जाती हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये छूट गेट (GATT) और गेट्स (GATS) के आलोक में प्रदान की जाती हैं, जिसका भारत एक हिस्सा है और इस प्रकार, एकमात्र मकसद एसईजेड (SEZ) के माध्यम से निर्यात और व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करना है। हालांकि, इन्हें तभी वास्तविक रूप दिया जा सकता है जब विकासक एसईजेड (SEZ) के दायरे में हो। इस मामले में एलओए (LOA) रद्द कर दिया गया है और अभी तक इसे फिर से शुरू नहीं किया गया है। इस प्रकार, विकासक इन लाभों का लाभ उठाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"

2.7 श्री अरविंद गर्ग, आईआरपी (IRP) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

2.8 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिंदुओं पर कानूनी राय लेने का निर्णय लिया: -

- I. चूंकि यह अब एनसीएलटी (NCLT) का मामला है और आईआरपी को एनसीएलटी (NCLT) द्वारा लेनदारों को भुगतान करने के लिए राशि की वसूली के लिए मोजर बेयर की संपत्ति का निपटान करने का निर्देश दिया गया है, क्या विकास आयुक्त या इकाई अनुमोदन समिति का कार्यालय नीलाम किए गए सामान को बाहर निकालने के लिए एलओए (LOA) का विस्तार कर सकता है? यह नोट करना प्रासंगिक है कि आईबीसी (IBC) की धारा 238 अन्य कानूनों को अवहेलना करती है।
- II. यदि एनएफई में कोई कमी 1% की कमी (नियम 80) के भुगतान से वसूल की जानी है, तो यह कैसे वसूल किया जाएगा जब इकाई मौजूद नहीं है और आईआरपी (IRP) में निहित है। क्या इस तरह लगाई गई जुर्माने की राशि वसूली के लिए आईआरपी को भेजी जा सकती है (आईबीसी (IBC) की धारा 35 आईआरपी (IRP) के साथ सभी संपत्ति निहित करती है)।
- III. आईआरपी (IRP) को केवल स्टील क्रेट के लिए ही खरीदार मिल सका है। बाकी संयंत्र और मशीनरी की भी नीलामी की जाएगी। इन सभी की डीटीए (DTA) बिक्री के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है?

सुरेंद्र मलिक

10/06/2022-SEZ

I/46725/2023

आगे समिति ने विकास आयुक्त एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय को कानूनी अनुचर से कानूनी राय प्राप्त होने पर फ़ाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

ए. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त